International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science
ISSN: 2349-2819
Impact Factor: 7.10
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal)
Email: editor@ijarets.org Volume-11 Issue-9 September-2024 www.ijarets.org

मुगलकालीन वर्ग में होने वाले भ्रष्टाचार का एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ0 हरीश कुमार (अस्सिटेंण्ट प्रोफेसर)

(विद्या संबल योजना)

राजकीय महाविद्यालय उच्चैन, भरतपुर राजस्थान

सारांश, प्रसिद्ध मुगल इतिहासकार एम० अतहर अली के अनुसार सम्राट औरंगजेब के प्रशासकों एवं सेना नायकों को, विशेषकर उसके अन्तिम वर्षों में, स्वच्छता का प्रमाण–पत्र नहीं दिया जा सकता। अमीर वर्ग की एक बड़ी संख्या भी मुगल प्रशासन में अयोग्यता का कारण उनके कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण की कमी एवं विशेषज्ञता का अभाव रहा अथवा कोई अन्य कारण स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, किन्तु निश्चित रूप से मेरम इस शोध पत्र में जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि कुलीन वर्ग भ्रष्टाचारी एवं खुल्लमखुल्ला रिश्वतखोर थे। व्यापारियों एवं कृषकों पर दबाव डालकर उनसे अवैध राशि वसूल करने में कुलीन वर्ग अपने प्रशासनिक अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करते थे। इसके अतिरिक्त उनके एकाधिकार की प्रवृत्ति भी व्यापार के लिए हानिकारक थी। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने विज्ञान एवं नई तकनीक को भी प्रोत्साहित नहीं किया। उनका संरक्षण विशेषकर धार्मिक व्यक्तियों एवं कवियों को ही प्राप्त था जो इस संसार में उनकी प्रशंसा करते थे और उस संसार में मरने के लिए और उनके कल्याण की प्रार्थना करते थे। औरंगजेब समकालीन सियाहा वकाए दरबार एवं वकील रिपोर्टों से भी ज्ञात होता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कालीन कुलीन वर्ग व प्रशासक वर्ग में गबन, जबरदस्ती राशि वसूल करना, तहसीलदारों द्वारा सरकारी खजाने में पूरी राशि जमा न कराना, रकम जमा कराते समय हेराफेरी, व्यापारियों से रुपये ऐंठना, वाकया नवीसों को लालच न मिलने पर गलत रिपोर्टिंग, कुलीन वर्ग द्वारा रिश्वत लेना आदि अनैतिक और भ्रष्टाचार पूर्ण गतिविधियों का बोलबाला था। यद्यपि सम्राट औरंगजेब द्वारा इन गतिविधियों पर अकुश लगाने के लिए कार्यवाई करने के प्रमाण भी मिलते हैं किन्तु कार्यवाई हल्की–फुल्की ही की जाती थी।

मुख्य शब्द, प्रशासनिक व्यवस्था, कारखाने, मनसबदारों से रिश्वत, नजराना आदि।

प्रस्ताबना, 1667 ई. के माह जून में कश्मीर वाक्या से सूचना पहुंची कि मुहम्मद कासिम दीवान ने चार लाख रुपये का गबन कर लिया (मुहम्मद कासिम दीवान मुबलिग चहार लक रुपया तगल्लुब नमूदाहअस्त)। मनसबदार सम्राट के आदेश बिना ही सरकारी खजाने से भारी रकमें उठा लेते थे। बुरहानपुर के सूबेदार खान–ए–जमां ने 20,000 रु सरकारी खजाने से सम्राट के आदेश बिना ही निकाल लिए थे। जब उसे वकाए के माध्यम से सूचना मिली तो उसने बुरहानपुर की सूबेदारी से उसे स्थानान्तरित करके उसके स्थान पर दाऊदखां को नियुक्त किया और खानेजमा के मनसब में कमी करके बरार की फौजदारी पर नियुक्त किया। तसहीहा (वह विभाग जहाँ घोड़े के दाग व जाँच का कार्य होता था) के कर्मचारियों ने पूर्णमल शेखावत के 7000 रु यह कहते हुए काट लिए कि उसने घोड़ों की जाँच करवाने में देर की थी।

बाद में उसने सम्राट औरंगजेब तक अर्ज पहुंचवाई की उसके घोड़े मौजूद थे किसी ने जाँच ही नहीं की। सम्राट ने रुहेल्लाहखां (मंत्री) को आदेश दिए कि पूर्णमल के घोड़ों की जाँच करवाकर सूचित करें। तहसीलदार जागीरों से रकमें वसूल करके पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाते थे। जगतसिंह का पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने शिकायत की कि तहसीलदारों ने उनकी जागीर से 4000 रुपये मुतलबा के प्राप्त किए हैं किन्तु मुगल सरकार में 1200 रुपये जमा करने की ही रसीद देता है। इस पर सम्राट ने आदेश दिए कि मुगल तहसीलदारों को दरबार में बुलाकर जाँच करो।[1]

अगस्त 1667 के वकाए के अनुसार खुफिया नवीस ने सूचित किया कि तहसील नानवा (नानवा हुण्डीगृह) के कर्मचारियों ने मुरलीधर शर्राफ की द्वितीय श्रेणी की वस्तु को प्रथम श्रेणी की आंककर खजाने में जमा कर ली है। और इस कार्य के लिए उन्होंने जमींदार चांदा से 20,000 रुपये लिए हैं। औरंगजेब ने आदेश दिए कि बुरहानपुर के सूबेदार दाऊदखां को हस्बुलहुक्म लिखा जावे कि जाँच करके उक्त राशि मुतसद्दियों (कर्मचारियों) से वसूल करें। औरंगजेब केवल जाँच करवा के कर्मचारियों से रकम वसूल करने के ही आदेश दे रहा है, कड़ी सजा के आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। इसे प्रशासनिक व्यवस्था में नियंत्रण की कमजोरी कहा जा सकता है। इलाहवर्दी खां की जागीर के कर्मचारियों के गबन के मामले की जाँच करके चकरसैन शाही दरबार में पहुंचा। इफ्तिखारखां ने अर्ज पहुंचाई कि हाथियों की हड्डियों रिखवते फीलां के कारखाने में एक लाख का गबन हो गया। सम्राट ने आदेश दिए कि किस–किस व्यक्ति ने गबन किया है? जाँच करके रकम वसूल करवाई जावे। यहाँ पर भी सम्राट से केवल गबनशुदा राशि को वसूल करने के आदेश दिए हैं जबकि आरोप सिद्ध होने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। विभागीय अधिकारी व्यापारियों से घूसखोरी (शूम तमई) के तौर पर रकम ऐंठ लेते थे। 24 रबि–उल–अव्वल सन् जलूस 10 (3 सितम्बर 1667 ई.) के अखबारात–ए–दरबार–ए–मुअल्ला से ज्ञात होता है कि चहलपक (स्थान का नाम) के मालखाने के अधीक्षक ने व्यापारियों से रकम ऐंठी थी अत :औरंगजेब के आदेश से उसके 300 जात व 40 सवार में से 40 सवार कम कर दिए गए और उक्त पद से स्थानान्तरित कर दिया गया। वाकया नवीस और बख्शी मिलकर मनसबदारों से रिश्वत के तौर पर रुपये मांगते थे, उनके द्वारा न देने पर उनके विरुद्ध रिपोर्ट भेज देते थे। इस प्रकार की शिकायत कांसी सिंह पुत्र रकमसिंह द्वारा की गई थी।[2]

उसके अनुसार वह 250 जात व 50 सवार के मनसब पर अजमेर में नियुक्त था उसके विरुद्ध बख्शी और वाकया नवीस ने शिकायत की कि प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक के सेवा काल में उसने कभी भी घोड़ों की दाग व जाँच नहीं करवाई अतः उसे हटा दिया गया। जबकि उसने सम्राट के पास भेजी गई शिकायत में लिखा कि उससे रुपये मांगे गए थे किन्तु उसने उसे (वाकया नवीस) कुछ भी नहीं दिया अतः दुश्मनी के कारण उसकी शिकायत की गई थी जबकि उसके घोड़े मौजूद थे और उसका मनसब बेकसूर ही कम कर दिया गया। अत औरंगजेब ने बख्शी–उल–मुल्क असदखां को आदेश दिए कि अमानतखां को हस्बुलहुक्म लिखा जावे कि जाँच करके वास्तविकता से अवगत करवावें। यदि गलत रिपोर्ट की गई हैं तो कांसी सिंह का मनसब बहाल कर दिया जावे। यहाँ पर झूठी रिपोर्ट पर मनसब से हटा दिये गए व्यक्ति का मनसब तो बहाल करने के आदेश हो रहे हैं किन्तु असत्य रिपोर्ट पहुंचाने वाले वाकया नवीस और बख्शी को कोई दण्ड नहीं दिया जा रहा है जबकि आरोप सिद्ध होने पर उन दोनों को भी दण्डित किया जाना चाहिए था। मुगलकालीन भारतीय ऐतिहासिक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कुलीन वर्ग अपने अधीन नियुक्त मनसबदारों की पदोन्नति से सम्बन्धित मामलों की सिफारिशे टिप्पणी करके औरंगजेब के पास भेजने और

उनकी पदोन्नति में प्रयत्न करने के बदले में उनसे नजराने के तौर पर भारी रकमें वसूल करते थे। यह नजराने वास्तव में रिश्वत का बदला हुआ रूप ही होता था और 1681 के आसपास तो अमीर वर्ग ने खुल्लम–खुल्ला तौर पर इस काम के लिए भारी–भारी एकमें तय करनी शुरु कर दी। उदाहरण के तौर पर सन् 1681 ई. में मुरीदखां ने उमदतुल्मुल्क (अफगानिस्तान का सूबेदार) के पास संदेशा भेजा कि यदि प्रार्थी (मुरीदखां) को जमरुंद में नियुक्ति दिला दें और खैबर मार्ग का उत्तरदायित्व उसके जिम्मे कर दे और 2000 जात और 1900 सवार (वर्तमान) प्रार्थी के मनसब में नवाब साहब 2000 जात और 2000 सवार बिना शर्त तथा 1000 जात व 1000 सवार शर्त पदोन्नत करा दें ताकि कुल असल व बढोतरी मिलकर 3000 जात व 3000 सवार हो जाए और सम्राट के दरबार से नक्कारा भी दिला दें तो खैबर के मार्ग की जिम्मेदारी वह लिखने को तैयार है, और स्वीकृति से पूर्व ही 80,000 रु नगद नजर के तौर पर नवाबजी को देने के लिए तैयार है।[3]

आमेर का महाराजा रामसिंह भी जमरुंद में नियुक्ति चाहता था। इसके साथ वह परगना चाटसू जागीर में तनखा के रूप में और 2000 सवार की पदोन्नति चाहता था अतः नवाब ने इन सब कामों के लिए 1 लाख रुपये मांगे जो बाद में 80,000 रुपये पर तय किया गया। इतना ही नहीं बल्कि वकील ने महाराजा को लिखा कि अब चूंकि लैन–देन में झिझक समाप्त हो चुकी है अतः जिस काम के लिए संकेत करेंगे मैं जान व दिल से कोशिश करके पूरा करा दिया करूंगा। नवाब ने राजा को भी छूट दी कि वह अपने अधीनस्थ से भी पूरा नजराना लेवे ताकि नवाब और राजा दोनों की पूर्ति हो सके। नवाब सलाह देता है कि लेने और लालच करने की ऐसी ही (बड़ी) जगह होती हैं न कि छोटी–छोटी जगहें क्योंकि छोटी–छोटी जगह में बदनामी बहुत होती है और लाभ बहुत कम और मामला भी खराब हो जाता है। सम्राट औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में लम्बी अवधि तक व्यस्त हो जाने के कारण तो उत्तरी भारत की प्रशासनिक अवस्था और अधिक खराब हो गई थी, रिश्वत और भ्रष्टाचार ने जोर पकड़ लिया था क्योंकि सम्राट के दक्षिण के दूरस्थ स्थानों पर अभियानों में व्यस्त होने के कारण भ्रष्ट मुगल अमीरों पर अंकुश रखना और उन्हें दण्डित करना कठिन था। यद्यपि सम्राट स्वयं न्यायप्रिय था, और स्वच्छ तथा भ्रष्टाचार रहित शासन चाहता था और इसके लिए प्रयत्नशील भी था किन्तु वास्तविकता तो यही थी कि 'इराक से तिरयाक आने तक सांप का काटा हुआ दम तोड़ देता था। औरंगजेब के सम्पूर्ण काल में चारों ओर रिश्वव और घूसखोरी का बोलबाला हो गया था। अमीरों, मनसबदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सच को झूठ और झूठ को सच में बदला जा रहा था। ऐसी स्थिति में मध्यम तथा निर्धन वर्ग कीं स्थिति दयनीय होना विचित्र नहीं थी जनसाधारण की जान, माल की सुरक्षा एवं उनकी समृद्धि के लिए किए गए उपाय प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के अनुसार मुगल कालीन भारत में यद्यपि साधारण व्यक्ति की आय तो अधिक नहीं थी किन्तु फिर भी वह भूखों नहीं मरता था और न ही अनाज तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए चिन्तित था क्योकि वह वस्तुऐं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और सस्ती भी थी। इसका कारण यह भी था कि मुगलकालीन जनसाधारण की आवश्यकताऐं सीमित थीं, और वह संतोषप्रद जीवन मैं विश्वास करते थे। सम्राट औरंगजेब के समय में कई अकाल पड़े किन्तु इन्हें घोर कष्टदायक नहीं कहा जा सकता। अकबर एवं उसके पश्चात् आने वाले मुगल सम्राटों ने सदैव लोगों को अकाल से राहत पहुंचाने की नीति का अनुसरण किया।वह राहत कार्य प्रारंभ करवाते, प्रचुर मात्रा में धन बांटते, एवं अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में लगान माफ कर देते थे। किन्तु इसके आकार एवं प्रशासन की अयोग्यता के कारण मुगलों द्वारा समस्या को कभी भी सफलतापूर्वक हल नहीं किया गया। हर कीमत पर यह कहा जा

सकता है कि विस्तृत पैमाने पर बार–बार पड़ने वाले अकालों के कष्ट को समाप्त करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई और न ही इन कष्टों से राहत प्राप्त करने कें लिए मुगलों द्वारा कोई ठोस उपाय किए गए।[4]

मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार जहीरुद्दीन फारूकी के अनुसार जब संसार के लोंग मुगलों द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि उनके द्वारा की गई कानून की समान व्यवस्था, सावधानीपूर्वक एवं पद्धतिपूर्वक गरीबों के लिए किए गए प्रयत्न, न्याय का समान बंटवारा, व्यापार एवं कृषि की उन्नति के लिए उठाए गए साहसिक कदम, शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना, एवं लोगों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा जुटाने का कार्य भारत में उनसे पूर्व कभी नहीं था। मुगल शासन पद्धति के चिन्ह हमें न केवल भूतकालीन अभिलेखों में देखने को मिलते हैं बल्कि वर्तमान शब्द–कोषों में भी देखा जा सकता है। हमारे आयकर विभागों एवं न्यायालयों में प्रयोग होने वाले पारिभांषिक शब्द आज भी हमें मुगल कालीन पद्धति की याद दिलाते हैं।मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जनसाधारण के लिए किए गए कुछ कार्यों का उल्लेख इस शेाध प्रत्र में किया गया है समस्त मुगलकाल में मालगुजारी के अतिरिक्त बीसियों नाजायज टैक्स और महसूल जारी थे जिनकी कुल संख्या मालगुजारी के बराबर पहुंच जाती थी, जैसे–चुंगी, पांदरी (मकान का टैक्स), सरशुमारी, बेशुमारी, बरगदी, तुगाना, जुर्माना, शुकराना आदि। इन करों की संख्या अस्सी तक पहुंची थी और उनकी आमदनी जैसा कि खाफीखां ने भी लिखा है करोड़ों से अधिक थी, सम्राट औरंगजेब ने यह सब कर समाप्त कर दिए।[5]

गरीब जनसामान्य के साथ न्यायप्रियता किसी भी राज्य की प्रजा का सुरक्षा तथा न्याय प्राप्त करना उसका मूलभूत अधिकार है और राज्य की मूलभूत विशेषताऐं हैं। किन्तु निरंकुश सम्राट से, जो कि सत्ता की सर्वोच्च शक्ति होता है, न्याय की उम्मीद प्रायः कम ही होती है, क्योंकि उसे जनता द्वारा चुने जाने या निरस्त किए जाने का भय नहीं होता है। ऐसे शक्ति–सम्पन्न सम्राट औरंगजेब से न्याय की उम्मीद उसी स्थिति में की जा सकती है जबकि वह अपने हृदय में ईश्वर का प्रकोप रखता हो और उसके प्राणियों के प्रति अपने आप को उसके सम्मुख उत्तरदायी समझता हो। सम्राट औरंगजेब में हमें ईश्वर के प्रकोप की झलक नजर आती है। सम्राट औरंगजेब के मनसबदारों तथा प्रशासकों में भ्रष्टाचार व्याप्त था।[6] किन्तु वह स्वयं इस दोष से मुक्त था बल्कि वह इस बात के लिए प्रयत्नशील भी रहता था कि उसके मनसबदार व प्रशासक भी न्यायप्रिय हों। 13 सितम्बर, 1667 ई. के वकाए से ज्ञात होता है कि जब उसने इलाहवरदीखां को फौजदार से पदोन्नत करके उड़ीसा का सूबेदार बनाया तो उसे निर्देश दिए– ''तुम्हें फौजदारी से पदोन्नत करके उड़ीसा की सूबेदारी प्रदान की जाती है। तुम्हें चाहिए कि अदल व इन्साफ को अपना सेवा बनाओ। अपनी दृष्टि खुदा (ईश्वर) पर रखनी चाहिए अर्थात् ईश्वर को साक्षी समझना चाहिए, कयामत के दिन हिसाब देना है।[7] सम्राट औरंगजेब का न्यायप्रिय होना उसकी जनता के लिए उम्मीद का चिराग है और आतंक पर अंकुश की निशानी। सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वह न्याय के मामले में अपना व पराया, निर्धन तथा धनी, मित्र व शत्रु सबको समान समझता था। एक रुक्के (पत्र) में लिखता है कि न्याय के मामलों में शाहजादों को मैं आम आदमियों के बराबर समझता हूँ। 15 मई 1667 ई. के एक वकाए के अनुसार 'सुल्तान मुहम्मद के बारे में बेगम साहिबा ने प्रार्थना की कि 'यदि सम्राट के अन्य सेवकों से कोई त्रुटि होती है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। सुल्तान मुहम्मद हजरत सम्राट का बेटा है किन्तु एक लम्बे समय से उसकी त्रुटि क्षमा नहीं की गई है। प्रार्थी उम्मीदवार है कि उसे क्षमा प्रदान की जावे। सम्राट ने उत्तर दिया कि उसकी त्रुटि ऐसी नहीं है कि क्षमा की जा सके। (ऊ तकसीर चुनां न

करदाह अस्त केह मुआफ मी तवां करद) बेगम ने अर्ज किया कि सम्राट का बेटा है उम्मीद है काम का आदमी बन जाएगा।[8]

औरंगजेब ने कहा क्या तुम इसकी जमानत लेती हो? कहा हाँ, मैं जामिन बनती हूँ। औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारे वास्ते उसकी त्रुटि क्षमा करता हूँ। उसकी माँ से कहो कि इसकी शादी कर दे। इसी से मिलता जुलता वाकया शिबली नोमानी ने भी वर्णन किया है। मिर्जा कामबख्श आलमगीर का अतिप्रिय पुत्र था। उसके कोका (एक ही धाय से दूध पीया हुआ भाई) पर हत्या का आरोप था। सम्राट ने आदेश दिया कि न्यायालय से जाँच करवाई जावे, कामबख्श ने उसका पक्ष लिया, आमलगीर ने कामबख्श को दरबार में बुलावा भेजा, कामबख्श उसको भी साथ लाया और उसे अपने आपसे अलग नहीं करता था। आलमगीर ने आदेश दिए कि कामबख्श भी कोका के साथ कैद किया जावे। अतः इस आदेश का तुरन्त पालना हो वकाए दरबार के अनुसार चकला हिसार के न्यायाधीश के पुत्र ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी। और बाद में सबूत भी मिल गए थे अतः औरंगजेब ने उसके कत्ल के आदेश दिए।[9] किसी के साथ अन्याय न हो इसलिए वह अधिकतर मामलों को न्यायायलय में भेजता था। कश्मीर के निवासियों ने दानिशमन्दखां के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया कि उसने उनकी गृह भूमि पर अनाधिकरण (अज ताअद्दी मीकरद) कर लिया अतः आलमगीर ने आदेश दिए कि इनसे कह दो कि वह न्यायालय की शरण लेवें। एक और वकाए के अनुसार साहिब राय पुत्र दलसिंह ने इब्राहीमखां हजारी के भाइयों, जो कि बन्दूकची थे, की हत्या कर दी अतः एरज के फौजदार मिर्जाखां ने उसे (साहिबराय) को मुगल दरबार में उपस्थित किया। औरंगजेब ने आदेश दिए कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों को न्यायालय की शरण लेनी चाहिए (दर शरा शरीफा रजू शवन्द)[10]

निष्कर्ष

सम्राट औरंगजेब अत्यधिक बुढ़ापे में भी वह दरबार में खड़े होकर जनसाधारण की अर्जियां लेता था और स्वयं अपने हाथ से उन पर आदेश लिखता था। डॉ० लीली केरी ने 78 वर्ष की आयु में आलमगीर को ऐसा करते देखा था, वह वर्णन करता है– ''वह सम्राट स्वच्छ व सफेद मलमल की पोशाक पहने हुए बुढ़ापे की लकड़ी के सहारे अमीरों के झुरमुट में खड़ा हुआ था, उसकी पगड़ी में जमर्रुद का बड़ा टुकड़ा टंका हुआ था, न्याय चाहने वालों की अर्जियां लेता जाता था और बिना ऐनक पढ़कर स्वयं अपने हाथ से हस्ताक्षर करता जाता था और उसके प्रफुल्लित मुख से स्पष्ट होता था कि वह अपनी इस व्यस्तता से प्रसन्नचित्त है। वह दिन में दो तीन बार दरबार–ए–आम करता था और किंचित मात्र भी किसी को रोक टोक नहीं थी। छोटे से छोटा व्यक्ति जो चाहता था कहता था और सम्राट औरंगजेब ध्यानपूर्वक सुनता था। सन् जलूस 17 (1674 ई०) में हसनअब्दाल के अभियान के अवसर पर आलमगीर एक दिन एक बाग में ठहरा, दीवार के नीचे एक वृद्धा का निवास गृह था। उसकी एक पनचक्की थी जिसमें बाग से पानी आता था, सरकारी आदमियों ने पानी रोक दिया और पनचक्की बन्द हो गई। सम्राट को इसकी सूचना पहुंची, उसी समय पानी खुलवा दिया, रात्रि में जब भोजन के लिए बैठा तो दो काब (प्लेट) भोजन के और 5 अशरफियां अबुलखैर के साथ बुढ़िया को भेजी और कहा कि मेरी ओर से क्षमा याचना चाहो कि अफसोस हमारे आने के कारण तुमको कष्ट हुआ। अतः प्रातःकाल पालकी भेजकर बुढ़िया को बुलवाया और जनाना ड्योढी में भेजा, स्त्रियों ने उसे जर्द जवाहर से मालामाल कर दिया। सम्राट की बेगमों और शाहजादों ने रुपये और अशरफियां बरसा दीं। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में बुढिया अच्छी खासी धनवान हो गई। उसकी पुत्री के विवाह के लिए भी सम्राट ने दो हजार रुपये प्रदान किए। 17

जनवरी 1667 ई. के वकाए अनुसार सुल्तान अब्दुररहमान बलखी ने सम्राट की सेवा में अर्ज पहुंचाई कि उसकी हवेली के चारों तरफ सरकारी भूमि पर कसाई लोग निवास करते हैं। उनके चीखने चिल्लाने से वह परेशान हो गया है अतः उक्त भूमि उसने पारितोषिक के रूप में अथवा कीमत पर लेने की प्रार्थना की। सम्राट ने फरमाया कि, ''हर छोटा बड़ा तुच्छ नहा होता है। कमजोर व निर्धन मेरे हृदय के अधिक निकट हैं और कमजोरों का अधिक ध्यान रखना ही श्रेष्ठ है।'' (फरमूदन्द हर कह व मह ख्वार मबाशद पासे खातिर जेरदस्त बस्तम नीज जेर दस्त रवावस्तन खूब हस्त)। सम्राट के इस कथन से ज्ञात होता है कि वह अपनी प्रजा से प्रेम करता था और अपने उच्चाधिकारियों की तुलना में जनसाधारण को अधिक महत्त्व देता था।

सन्दर्भ गन्थ सूची

1 निजामुद्दीन अहमद तारीख–ए–अकबरी, सम्पा० बी० डे और मुहम्मद हिदायत हुसैन, 3 भाग, कलकत्ता, 1913–1939 पृष्ठ 21

2 शाहनवाज खाँ : मआसिर–उल–उमरा, सम्पा० आर्ब्दुरहीम एवं अशरफ अली, कलकत्ता, 1888–91 पृष्ठ 54

3 मलिक जादा : निगारनामा–ए–मुंशी, नवल किशोर प्रेस, 1882 पृष्ठ 87

4 अली मुहम्मद खाँ : मीरात–ए–अहमदी, सम्पा० सैयद नवाब अली, बड़ौदा, 19177–1920 पृष्ठ 21

5 काजिम मुहम्मद : आलमगीरनामा भाग–1 एवं 2, सम्पादक– खादिम हुसैन एवं अब्दुलहे (Hoyy) कलकत्ता, वर्ष 1866. पृष्ठ 127

6 खाफी खाँ : मुन्तरवव–उल–लुबाब, अनुवादक इलियट और डाउसन और तसनीम अहमद, ईश्वरदास नागर : फुतुहाते–आलमगीरी–अनुवादक व सम्पादक तसनीम अहमद दिल्ली, वर्ष 1978 पृष्ठ 455

7 लाहौरी अब्दुल हमीद : बादशाहनामा, भाग 1 व 2 सम्पादक मोलवी कबीर अलदीन अहमद और अल रहीम, कलकत्ता, वर्ष 1868 पृष्ठ 302

8 अतहर अली एम : औरंगजेब कालीन मुगल अमीर वर्ग प्रकाशन, राजमहल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 1970 पृष्ठ 167

9 इलियट और डाउसन : भारत का इतिहास, 8 भागों में (हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ऐज टोल्ड वाई इटस ओन हिस्टोरियन्स) प्रकाशन, इलाहबाद, वर्ष 1964 पृष्ठ 236

10 इब्नहसन : दि सेन्ट्रल स्ट्रेम्चर ऑफ मुगल एम्पायर अनुवादक इरफान हबीब, 3 भागों में– 1. ज्ञानवाणी, 2. मुगल साम्राज्य, 3. दि एग्रोरियर सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिय पृष्ठ 75